



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या – 1831/2026

दीपक पाण्डेय

...प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ

... विरोधी पक्षकार (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता: – विवेक शुक्ला

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया, जिन्होंने पूरक शपथपत्र प्रस्तुत किया है जिसे अभिलेख पर ग्रहण किया गया है, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र, थाना- डीह, जिला- रायबरेली में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 74 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471, 506 भारतीय दंड संहिता और धारा 66-ग, 66-घ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के संबंध में दायर किया गया है।

प्राथमिकी की अंतर्वस्तु के अनुसार, प्राथमिक आरोप सोनू पांडेय य उर्फ योगेंद्र पांडेय नामक व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए हैं, जिसके बारे में कहा गया है कि उसने सूचनाकर्ता को साइबर अपराध की रकम प्राप्त करने के उद्देश्य से एक खाता खोलने के लिए प्रेरित किया था। यह कहा गया है कि सूचनाकर्ता उक्त तथ्य से अनभिज्ञ था और उसे इसका पता तब चला जब उक्त खाते को सीज कर दिया गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों में झूठा फंसाया गया है। विवेचना अधिकारी के समक्ष विवेचना के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा उसका नाम नहीं लिया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

गया है। प्रार्थी ने शिकायतकर्ता से कोई धन नहीं लिया है। प्रार्थी का नाम सह-अभियुक्त दुर्गेश पांडेय के इकबालिया बयान में सामने आया है, जिसने प्रार्थी का नाम 'दीपक रेड्डी' बताया है, जबकि प्रार्थी का नाम 'दीपक' है। अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

सह-अभियुक्त दुर्गेश पांडेय, सोनू पांडेय और संजय पांडेय को जमानत प्रदान कर दी गई है, जिनके आदेशों को जमानत प्रार्थनापत्र के अनुलग्नक संख्या 6 के रूप में अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का चार अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है। इस पर, विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उन्होंने पूरक शपथ पत्र के प्रस्तर 3 में आपराधिक पूर्ववृत्त को स्पष्ट किया है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों पर विचार करने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं मुख्य अभियुक्त सहित सह-अभियुक्तों के जमानत आदेशों के परिशीलन के बाद, प्रार्थी ने पूरक शपथ पत्र में आपराधिक पूर्ववृत्त को स्पष्ट किया है, प्रार्थी दिनांक 30.12.2025 से जेल में है, प्रार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना और आरोपों की प्रकृति पर विचार करते हुए, प्रथम दृष्टया, यह न्यायालय पाता है कि प्रार्थी इस मामले में जमानत पर रिहा होने का अधिकारी है।

तदनुसार, समानता के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त प्रार्थी दीपक पांडेय को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए, जो न्यायहित में अधिरोपित की जा रही हैं:-

(i) प्रार्थी इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह साक्षियों के न्यायालय में उपस्थित होने पर साक्ष्य के लिए नियत तारीखों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुरूप आदेश पारित करने के लिये न्यायालय स्वतंत्र होगा।

(ii) प्रार्थी नियत की गई प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्यवाही कर सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iii) यदि प्रार्थी मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और प्रार्थी ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 174-क के अंतर्गत विधि के अनुरूप कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) प्रार्थी (i) वाद के आरंभ होने (ii) आरोपों के विरचित होने एवं (iii) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बयान दर्ज होने के उद्देश से नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में प्रार्थी की अनुपस्थिति जान-बूझ कर अथवा बिना पर्याप्त कारण के होने की दशा में विचारण न्यायालय ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और उसके विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

30 मार्च, 2026

केकेबी